

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, (कार्मिक अनुमान-2)

पत्रांक:- ३८८ प्र०३० / सिं०७० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था० सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

दिनांक 16/06/2025

२- कार्यालय इकाप -:

— कार्यालय ज्ञाप —
रस्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रस्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य रस्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में रस्थानान्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को गहराइनेवाला विवरण							
क्रमांक	कार्यक्रम का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मस्थान	वर्तमान कार्यस्थल का नाम	स्थानान्तरित कार्यस्थल का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	यशवन्त सिंह जयाडा	टिहरी	17.12.90	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड-1 श्रीनगर	सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1)(ख) (एक)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राक्षिप्तानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना होगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यनार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 - यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
 - यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध "उत्तररक्षण सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
 - जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तररक्षण सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय—समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
 - उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अधिकारी

संख्या-३६७८ / प्र०अ० / कार्मिक / वृद्धिनालंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संघर्षार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी देव भेजिए ।

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 - वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - कट फाईल हेतु।

(कपिल कमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६२७/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

- कार्यालय ज्ञाप -

दिनांक १०)०६ | 2025

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-८ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)०	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीष राणा	उत्तरकाशी	18.09.90	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड पुरोला	सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा 17 (1)(ख) (छः)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से रथानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आत्मा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना होगा। कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उल्लंघन न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेपित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव उत्पादने का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:- ३६२७/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट काईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कट प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३८७४ प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / रथा०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक | ०१०६ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संदीप प्रसाद	उत्तरकाशी	01.07.88	सिंचाई खण्ड, पुरोला	सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आध्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
6. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किया जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
8. यदि कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या-३८७४/प्र०अ०/कार्मिक/दिनांक]

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीकाण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

M

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६७१/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक १०/६/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मातिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभित खण्डुरी	चमोली	22.06.90	सिंचाई खण्ड, चमोली	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	धारा १७ (१)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनरथ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- १ स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना चाहिए।
- २ स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपरोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आघरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ढालनाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आघरण को "सरकारी आघरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह ताहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:-३६७१ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
पत्रांक:- ३६०६/प्र०३०/सिं०५०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —

दिनांक १०/०६/२०२५

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य रथानान्तरण सूची में पात्र कालम-६ में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	रथानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिवेन्द्र सिंह राणा	उत्तरकाशी	01.08.83	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, विन्यालीसीढ़	धारा १७ (१)(ख) (छ)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से रथानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

7. रथानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. रथानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. रथानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. रथानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. रथानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के रथान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलद धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक रथानान्तरण आदेश के विलद दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आधरण को "सरकारी आधरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:- ३६०६/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी सीधी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3695/प्र030/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्था०

- कार्यालय झाप -:

दिनांक | ०५ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुमा०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंकज कुमार	अल्मोड़ा	29.06.89	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	पी०एम०जी०एस० बाई०, सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा	धारा 17 (1)(ख) (घः)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्भाट होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में रैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-3695/प्र030/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- दैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुसार—2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**3696**/प्र030/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्था०

दिनांक **10) 05** | 2025

— कार्यालय ज्ञाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृतापाल सिंह	लौदप्रयाग	01.08.90	सिंचाई खण्ड, लौदप्रयाग	पी0एम0जी0एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, जखोली	धारा 17 (1)(ख) (छः)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात् कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदरथापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होंगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने भाता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव ठलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-**3696** /प्र030/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कृपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**३६९२**/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

- कार्यालय झाप -:

दिनांक १०/०६/ 2025

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य रथानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में रथानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)०	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	रथानान्तरित कार्यालय का नाम	रथानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनोज कुमार	अल्मोड़ा	18.06.67	पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, ज्योतीकोट	सिंचाई खण्ड, रामनगर	धारा १७ (१) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से रथानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

१. रथानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. रथानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. रथानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. रथानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. रथानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक रथानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, यह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३६९२ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

L

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुसार-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-3698/प्र030/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्था0

— कार्यालय झाप —:

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिपिल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /बृंग)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	रथानान्तरित कार्यालय का नाम	रथानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनिल प्रसाद नैथानी	उत्तरकाशी	05.05.88	पी0एम0जी0एस0 वाई0, सिंचाई खण्ड, पुरोला	सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा 17 (1)(ख) (छ)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्भत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त करना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपमोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर राकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-3698 /प्र030/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुसार-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६९९/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक १०/०८ 2025

कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/आपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संतोष सिंह सापता	अल्मोड़ा	05.05.88	सिंचाई खण्ड रानीखेत	सिंचाई खण्ड, रामनगर	धारा 17 (1) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ढलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आधरण को "सरकारी आधरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे सनय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३६९९/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (तार-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट कार्फ्ल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

६

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२०० / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

दिनांक | ० | ० | २०२५

— कार्यालय ज्ञाप —

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य रथानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में रथानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुड़ी)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थान कार्यालय का नाम	रथानान्तरित कार्यालय का नाम	रथानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनोज जोशी	अल्मोड़ा	05.04.90	सिंचाई खण्ड रानीखेत	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	धारा 17 (1) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से रथानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-


1. रथानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. रथानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. रथानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
4. रथानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. रथानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक रथानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ढलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आधरण को “सरकारी आधरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३२०० / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कृपाल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२०। / प्र०३० / सिं०१० / कार्मिक-२ / ई-६ / रथा०

— कार्यालय झाप —

दिनांक १०)०६ | 2025

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य रथानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचिल) को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में रथानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कुमा०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	रथानान्तरित कार्यालय का नाम	रथानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुमित कुमार	हरिद्वार	14.03.91	सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	सिंचाई खण्ड, रुड़की	धारा 17 (1) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से रथानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. रथानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. रथानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. रथानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. रथानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. रथानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा रथानान्तरण रौकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक रथानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२०। / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्टर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२०८/प्र०अ०/सि०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

दिनांक | ० | ०६ | 2025

— कार्यालय झाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुगी)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुलदीप नैधानी	उत्तरकाशी	०८.०७.८७	पी००८८०५००८८० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा १७ (१)(ख) (छ.)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अनुर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आँखा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-


१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मत कार्यमुक्त करना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा बेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-३२०८/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. दैयवितक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक- ३२०३/प्र०अ०/सि०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक १००६/२०२५

- कार्यालय झाप -:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ शु.)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जितेन्द्र कुमार	हरिद्वार	10.03.87	सिंचाई खण्ड, दुगदड़ा	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आज्ञा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदरथापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव उल्लंघने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी आचरण नियमावली' का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या- ३२०३ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुसार-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२०५/प्र०अ०/सि०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक १०/०६/ 2025

— कार्यालय ज्ञाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुगी)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभिवृक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सतीश कुमार	हरिद्वार	12.05.87	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ग)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात् कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-


- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विलङ्घ 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२०५/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


 (कृपाल कुमार)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२०५/प्र०३०/सि०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

- कार्यालय झाप -:

दिनांक ०१/०६/ 2025

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुपु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनोज सिंह नेगी	चमोली	15.07.87	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-


१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमादली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२०५ /प्र०३०/ कार्मिक / तदिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।


(किशोर कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-**३२०६**/प्र०३०/सि०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक | ०१०६ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कर्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रियका कुंजवाल	नैनीताल	27.11.90	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सिंचाई खण्ड, रामनगर	धारा १७ (१) (ग)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :—


१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थपित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आघरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ढलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आघरण को “सरकारी आघरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-**३२०६** /प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।


(कृपाल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-१३०२/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

- कार्यालय झाप -:

दिनांक १०/०६/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुमा०)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लला नयाल	अल्मोड़ा	20.03.91	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	धारा 17 (1) (ख) (छः)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिया जायेगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विलद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-१३०२/प्र०अ०/कार्मिक/दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२०४ / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

दिनांक १०/०६ 2025

— कार्यालय ज्ञाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक कुमार सिंह	हरिद्वार	10.10.90	पी०८००५००८० वाई०, सिंचाई खण्ड-१, नई टिहरी	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३२०४ प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. पैदलिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-५०१ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / रथा०

दिनांक १०/०६/ २०२५

— कार्यालय ज्ञाप —

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विपिन चन्द्र रमोला	टिहरी	02.08.90	पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड-१, नई टिहरी	पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा १७ (१) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यनार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यनार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव ढलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।


शंकर कुमार साहा

मुख्य अभियन्ता

संख्या:-५०१ / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-**३१०** / प्र०३० / सि०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / रथा०

- कार्यालय झाप -:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक **१०/०६/२०२५**

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुन्दर सिंह रायत	अल्मोड़ा	15.06.87	पी०एम०जी०एस० बाई०, सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट नैनीताल	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	धारा १७ (१) (ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समयमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- २ स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- ४ स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ५ स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडाल्पत्र कार्यवाही की जायेगी।
- ६ यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- ७ यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- ८ जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- ९ उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- **३१०** / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।


(कृपाल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३१। / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

— कार्यालय झाप —

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पवन कुमार	नैनीताल	27.08.88	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	सिंचाई खण्ड, घारचूला	धारा 17 (१) (ख) (छः)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३१। / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३७१२/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

— कार्यालय इष्ट —

दिनांक १०/०६/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हेमन्त पठोई	टिहरी	01.07.84	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	पी०६००४०५००४०८० वाई, सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (छः)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें :—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ड़लवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-३७१२ /प्र०३०/कार्मिक/ तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3739/प्र030/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्था०

— कार्यालय झाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ.)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रीतम सिंह तोमर	देहरादून	02.06.92	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अद्वाक्षण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नय तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आधरण को "सरकारी आधरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-3739/प्र030/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी सी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२५०/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कर्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक | ० | ०६ | 2025

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ.)	गृह जनपद	जन्मातिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कैलाश सिंह	अल्मोड़ा	16.07.90	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	पी०एम०जी०एस०वाई सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट, नेनीताल	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आल्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविद्धि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डालवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।


रांकर कुमार साहा

मुख्य अभियन्ता


संचाला:-३२५० /प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)


कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुवाद-2)

(प्राचीनकालीन अनुमान—२)

पत्रांक-३२५१ / प्र०३० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

दिनांक |०१०८| 2025

कार्यालय ज्ञाप

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राक्षिधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनियार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री / श्रीमती / कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	दर्तामान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निखिल भट्ट	देहरादून	07.01.87	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरगत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्पाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदशास्त्रियता कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मिलन कार्यमुक्त करना होगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 - यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अकिञ्चित किया जायेगा।
 - यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
 - जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
 - उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
भृष्ट अभियन्ता

संख्या:- ३१५। / प्र०३१० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आपस्यक गार्यवाही हेतु पेशित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्टर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 - पैदयितक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - कट फाईल हैं।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**३२५१**/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक **१०/०६/२०२५**

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुलदीप सिंह	हरिद्वार	01.01.85	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, उत्तराखण्ड	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आद्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविद्धि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस दृष्टि/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)' नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में रैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-**३२५१/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३४३/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक | ०८ | ०६ | 2025

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविद्यानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य रथानान्तरण सूची में पात्र कालम-६ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जानहित में रथानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ.)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्था कार्यालय का नाम	रथानान्तरित कार्यालय का नाम	रथानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विनोद कुमार	पिथौरागढ़	28.12.78	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	पी०एम०जी०एस०वाई सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविद्यानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से रथानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आल्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-


1. रथानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. रथानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वैतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. रथानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
4. रथानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. रथानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवितरण पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक रथानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव ढलावाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आधरण को "सरकारी आधरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविद्यानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविद्यानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३८५३/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कृपाल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३८४५/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंचदेव	उधमसिंह नगर	04.05.91	सिंचाई खण्ड, लडपुर	सिंचाई खण्ड, कपकोट	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडालनक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविद्धि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा

मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३८४५ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

fr

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
पत्रांक-३२५८/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शालाका पंत	अल्मोड़ा	24.01.91	सिंचाई खण्ड, लडपुर	पी०ए०जी०ए०स० वाई०, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आण्डा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद धारा 24 के अनुसार दंडालनक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:- ३२५८/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. पैयवितक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कृपिल कुमार सहा)
वसिठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३७५६ / प्र०अ० / सिंचाई / कार्मिक-२ / ई-८ / रथा०

- कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक १०।०६। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-८ में अंकित कार्यालय में एतादृशा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुकेश कुमार	हरिहार	10.01.88	परिकल्प खण्ड, लड़की	सिंचाई खण्ड नई टिहरी	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव उल्लंघने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी आचरण नियमावली' का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३७५६ / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३१५८/प्र०३०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/स्थान

- कार्यालय ज्ञाप -

दिनांक |०|०६| 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ बृ.)	गृह जनपद	जन्मातिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशान्त चौहान	हरिद्वार	06.04.90	सिंचाई खण्ड, दुगड़ा	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनरथ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्वारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियनानुसार अनुनय कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवित्रण पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।


शंकर कुमार साहा

मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३१५८/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(क्रिपल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३५३/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —:

दिनांक | १० | ०६ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कर्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जानहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक कुमार सौनी	हरिद्वार	30.08.66	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	पौ०ए०जी०ए०स० वाई० सिंचाई खण्ड, चम्पा	धारा 17(1)(क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडाल्पक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव ढलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)’ के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह ताहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता


संख्या-३५३/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक |

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी सी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)


कृति प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-उमीड़। / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक १०।०६। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मातिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीरम जोशी	उद्धमसिंह नगर	19.02.89	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	सिंचाई खण्ड, गैनीताल	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेपित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविधिट में भी इस आघरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आघरण को "सरकारी आघरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-उमीड़। / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३२३२/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक १०।०६। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मातिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलविन्दर सिंह	उधमसिंह नगर	25.05.86	सिंचाई खण्ड, सितारंगज	सिंचाई खण्ड, शानीखेत	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-


- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने भाता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या-३२३२/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कृपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

१०

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३२३३/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक १०/०६/२०२५

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक नौटियाल	टिहरी	14.05.81	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरांत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।


- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपमोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवितरण पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव ठलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या-३२३३ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३३३५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —:

दिनांक | ० | ० | २०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शिव सिंह विष्ट	देहरादून	09.03.90	जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	धारा 17(1)(क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यनार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यनार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आघरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव उल्लंघन का प्रयास करेगा तो, उसके विलङ्घ 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:-३३३५/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२३५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक १०/०६/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-८ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमित कुमार जड़विया	देहरादून	26.08.86	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, देहरादून	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड-२, नई टिहरी	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आत्मा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये जिन कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपमोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव टलायाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:-३२३५/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)


कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३४३६/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-८/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —:

दिनांक १०)०६ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजाहिद अहमद	उथमसिंह नगर	11.07.82	सिंचाई खण्ड, रामनगर	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपरोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव उल्लंघन का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

इकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३४३६ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

कपिल कुमार
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-उन्नति/प्र030/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्थान

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक 10/06/2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्रम सं	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमित कुमार	हरिहार	09.04.83	परिकल्प खण्ड, रुड़की	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने नामा-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यवित्रित पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव उल्लंघन का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उचत आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:- 3232 /प्र030/कार्मिक/तदिनांक |

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3738

/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्था०

- कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक (१६) | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र

निम्नलिखित कर्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ.)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आलोक कुमार सौनी	हरिहार	12.07.87	प्रशासन खण्ड, रुड़की	पी०ए०जी०ए०स०वाई सिंचाई खण्ड-2, श्रीनगर	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आज्ञा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्थीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडालन कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्राविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव उल्लंघन के प्रयास करेगा तो, उसके विलम्ब "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:-3738 /प्र०अ०/कार्मिक/दिनांक | १०/०८/१८

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुसार—2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६२/प्र०अ०/सि०वि०/कार्मिक—२/ई—६/स्था०

दिनांक १०/०६/ 2025

— कार्यालय ज्ञाप —

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र—2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम—5 में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम—6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगदीश प्रसाद	घमोली	10.07.88	पी०ए०म०जी०ए०स० वाई०, सिंचाई खण्ड चम्बा	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 13 (3)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम—2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आज्ञा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता—पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विलद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय—समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या—३६२/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक—२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

M

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६८/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-८/स्था०

:- कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधिकानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्रमांक सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुमन परिहर	नैनीताल	20.09.91	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	धारा १७ (ख) छ:	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधिकानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सत्रमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपर्योग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधिकानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधिकानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भल्ता देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३६८/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमति-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६६९/प्र०३०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

:- कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक | ०१०६ | २०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रमोद कुमार	हरिद्वार	15.07.89	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-२ हल्द्वानी	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	धारा १७ (१)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- १ स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमानार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमानार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमानार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण शोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दाउनीय होगा।
९. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
१०. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

संख्या:- ३६६९ /प्र०३०/कार्मिक/ तदिनांक।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. पैयक्षिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

[Signature]

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६६३/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

- कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक १०।०६। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास मोहन	उत्तरकाशी	10.02.90	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादू	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	धारा १७ (१) (ख) (चार)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड़ा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

1. रथानान्तरित कार्मिक को पदरथापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडालक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आवरण को "सरकारी आवरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु रथानान्तरण भत्ता देय नहीं किया जायेगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३६६३ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६६५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक | ०१ | २०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कानिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु.)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गायत्री तिवारी	नैनीताल	02.04.89	पी०ए०जी०ए०स० वाई०, सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	धारा १७(ब) (घ)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात् कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात् वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
१०. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या- ३६६५ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कार्याधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-**३६५**/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक **१०)०५** | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	बर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक नेगी	चमोली	05.09.97	सौंग बांध पैयजल परियोजना, देहरादून	सिंचाई खण्ड, धराली	धारा 17 (1) (ब) (तात)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित सम्बान्धित कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आँखा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।


- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त करना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा बेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविद्धि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डालना के प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)' नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या- **३६५**/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कृपाल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृपा प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 3666 / प्र०अ० / सिंचाई / कार्मिक-2 / ई-6 / रथा०

— कार्यालय ज्ञाप —:

दिनांक 10/06/2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आनन्द सिंह	अल्मोड़ा	15.06.86	जमशानी बांध निर्माण खण्ड-2 हल्दानी	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	धारा 17 (1) (ख) (सात)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलद धारा 24 के अनुसार दंडालनक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद दबाव ढलाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- 3666 / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**३२१६/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०**

दिनांक **१०/६/** 2025

कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कानिष्ठ अभियन्ता/अपर राहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोविन्द सिंह	मुरादाबाद	०८.०६.८७	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	पौ०ए०जी०ए०८० वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा १७ (१)(ख) (एक)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आण्डा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सासमय कार्यमुक्त करना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा। तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३२१६ /प्र०अ०/कार्मिक /तदिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

M

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३८१८/प्र०३०/सि०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक १०/०८/२०२५

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री / श्रीमती / कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नेहा सिंह	देहरादून	०८.१०.९०	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा ७ (घ) (५)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिरक्षानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनींग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर लकें।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली २००३ (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, २००३ (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-३८१८/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३२१४ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनील कुमार	उधमसिंह नगर	10.04.87	पी०ए००५०१०८० वाई०, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	सिंचाई खण्ड, कपकोट	धारा 17(1)(क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात् कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात् वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव उत्थाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-३२१४ / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोचाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट पाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३२१९ / प्र०अ० / सिंचाई / कार्मिक-२ / ई-६ / रथा०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-८ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकुमार	हरिद्वार	10.06.87	सिंचाई खण्ड, रामनगर	सिंचाई खण्ड, दुगदडा (दुर्गाम)	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आँखा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदरथापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपरोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव उत्पन्न करता है तो, उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

रांकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३२१९ / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२१०/प्र०आ०/सिंच०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —:

दिनांक १०/०८/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कानिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की घारा	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रेम प्रकाश गिरी	पिथौरागढ़	०८.०७.८७	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	घारा १७(१)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सामय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध घारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२१० /प्र०आ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२५/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —:

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विजय सिंह	उधमसिंह नगर	10.07.89	पी०ए०जी०ए०स० वाई०, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	धारा 17(1)(क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव उल्लंघन का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२५ /प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3689/प्र030/सिं0वि0/कार्मिक-2/ई-6/स्था0

— कार्यालय झाप —:

दिनांक 10/06/2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधिकानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु0)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीरज तिवारी	नैनीताल	12.02.85	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सिंचाई खण्ड, लड्डपुर	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधिकानुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव लगाने का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)" नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधिकानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित) के संगत प्राविधिकानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-3689/प्र030/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
दूरे प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६९०/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक १०/०६/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु०)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरीश दानू	चमोली	17.10.85	पी०एम०जी०एस० वाई, सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर	पौ०एम०जी०एस० वाई, सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें : -

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्भत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्भत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना होगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने नाता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव ढलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३६९०/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६९। / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-८ / स्था० सिंचाइ विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक १०।०६।२०२५

- कार्यालय ज्ञाप -
स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राक्षिधानामुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरगत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त करना होगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वैतन आहरित नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 - यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
 - यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी आचरण नियमावली' का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविद्धानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
 - जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविद्धानों के अधीन दण्डनीय होगा।
 - उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या-३६१। / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यशाली बेल प्रेसिड है।

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्टार-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 - पैयवितक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहसादून।
 - कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृतो प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६९१/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

कार्यालय झाप :-

दिनांक १०।०।। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जितेन्द्र सिंह चौहान	देहरादून	09.07.88	पी०एम०जी०एस० वाई, सिंचाई खण्ड, पुरोला	सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३६९१ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- पैयवितक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमति-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६९३/प्र०अ०/सिंच०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

:- कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक ०१/०६/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ब्रिजेश कुमार	हरिद्वार	05.08.82	सिंचाई खण्ड, कालसी (दुर्गम)	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वैतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविद्धि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद दबाव ढलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

राकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३६९३/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट काईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३६९५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक १०/०६/२०२५

: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुगु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीरज तिवारी	अल्मोड़ा	02.07.88	पी०एम०जी०एस० वाई, सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट	सिंचाई खण्ड, लौदपुर	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "रारकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपदब्दों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, यह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३६९५ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

b

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 (कार्मिक अनुमान-2)
 सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
 पत्रांक:-३१३/प्र०अ०/सिंवि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक १०/०६/२०२५

कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शेलोन्ड मटनागर	उद्धमसिंह नगर	13.10.78	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	धारा 17 (1)(ख) (एक)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डबावने का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
 मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३१३ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


 (कृपाल कुमार)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३१५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक १०।०। 2025

— कार्यालय ज्ञाप —

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मातिथि	वर्तमान कार्यस्थ कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इन्दु टमटा	नैनीताल	23.08.91	पी०ए०जी०ए०स० वाई०, सिंचाई खण्ड हल्द्वानी	पी०ए०जी०ए०स० वाई०, सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा	धारा 17(1)(क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निन्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आघरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आघरण को "सरकारी आघरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

अंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३१५ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


 (क्रिपल कुमार)
 वसित स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
 कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 (कार्मिक अनुभाग-२)
 सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
 पत्रांक:- ३२१५ प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / रथा०

दिनांक १०।०६। 2025

— कार्यालय ज्ञाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचिल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-५ में अंकित कार्यालय से कालम-६ में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ बृ०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	होशियार सिंह	पीड़ी	08.07.84	सिंचाई खण्ड, देहरादून	परियोजना खण्ड, देहरादून	धारा 17(2)(घ)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरांतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आण्डा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।


- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने नाता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविद्धि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह ताहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

चंकर कुमार साहा
 मुख्य अभियन्ता

संख्या- ३२१५ / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


 (कपिल कुमार)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 (कार्मिक अनुभाग-२)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**३६०** / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

- कार्यालय झाप -:

दिनांक **१०/०६/** 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कु०)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभिषेक देव राहुल	पौड़ी	30.05.08	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	पी०ए०जी०ए०स० वाई० सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीका किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना सकते हैं।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार्ग ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव उल्लंघन के प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आवरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में रैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३६० / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**३६४२**/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक **१०।६६** | 2025

— कार्यालय ज्ञाप —

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कर्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुमू)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तरुण लुम्याल	बागेश्वर	07.07.91	सिंचाई खण्ड, कपकोट	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	धारा 17 (1)(ग)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलद धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद दबाव उल्लंघने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आधरण को “सरकारी आधरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- **३६४२**/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सतर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी सी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**3683** / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-2 / ई-6 / स्था०

:- कार्यालय झाप :-

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /बुजु)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदुष शर्मा	चम्पावत	06.03.88	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	सिंचाई खण्ड, रामनगर	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडालनक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलायाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी आचरण नियमावली' का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपदन्वयों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-**3683** / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (रत्न-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुसारा-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**३६८५**/प्र०३०/सि०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

- कार्यालय झाप -:

दिनांक | ५ | ०६ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुमा०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सचिन कुमार	हरिद्वार	15.06.89	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।-


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा राम्भनित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विलम्ब "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- **३६८५**/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कृपाल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 3685/प्र030/सि0वि0/कार्मिक-2/ई-6/स्था0

- कार्यालय झाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कर्मित अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक 10/06/2025

क्रमांक सं0	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुमा)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंजेश कुमार सौनी	हरिद्वार	06.07.90	अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आल्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अद्यकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव उल्लंघने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आवरण को "सरकारी आवरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- 3685/प्र030/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फार्मल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत्य प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**3686** प्र०३०/सिंच०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक **10/06/2025**

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचिल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदीप सिंह रावत	अल्मोड़ा	30.08.90	पी०एम०जी०एस० चाई० सिंचाई खण्ड, घम्पावत	पी०एम०जी०एस० चाई० सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	धारा 17 (१) (क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आण्डा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना सकते हैं।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव उल्वाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में रैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-**3686** / प्र०३०/ कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

4
(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

b

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमति-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**3682**/प्र030/सिं0वि0/कार्मिक-2/ई-6/स्था0

दिनांक 16/06/2025

- कार्यालय ज्ञाप -:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कर्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्रमांक सं0	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती /कुमा)	गृह जनपद	जन्मस्थिति	वर्तमान कार्यस्थिति कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांशु सुयाल	नैनीताल	09.12.90	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	सिंचाई खण्ड, लौदपुर	धारा 17 (1)(ग)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तादनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा बेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडालन कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- 3687 / प्र030/ कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कमल कुमार)

वारिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-**3688**/प्र030/सि0वि0/कार्मिक-2/ई-6/स्था0

कार्यालय ज्ञाप :-

दिनांक 10/06/2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्रमांक सं0	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती /कु)	गृह जनपद	जननीतीथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जन्मेजय भट्ट	देहरादून	02.05.82	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड-2, श्रीनगर	धारा 17 (1)(ख) (छः)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

- 1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदरस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सासमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविद्धि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्व दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्व 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

रांकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-**3688** /प्र030/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. पैदावितक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३८८०/प्र०३०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक १०/०६/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्थायं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कुगु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शोभित कुमार गन्धर्व	हरिद्वार	20.07.91	पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड-१ नई टिहरी	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	१७(१)(ग)	अद्वितीय 2027 के कार्यों हेतु

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार वा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो, उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भल्ता देय नहीं होगा।
१०. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या- ३८८०/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृत प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६१ / प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था०

- कार्यालय ज्ञाप -:

दिनांक १०।०। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कार्यक्रम अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-५ में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम-६ में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कुगु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	रथानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री मनोज कुमार शर्मा	पीड़ी	13.12.94	सिंचाई खण्ड, उत्तराकाशी	पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड-१ नई टिहरी	धारा १७ (ब) (छ)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आज्ञा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपरोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आवरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव उल्लंघन के प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आवरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
१०. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३६१ / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६७४ प्र०३०/ सिं०वि०/ कार्मिक-२/ ई-६/ स्था०

- कार्यालय ज्ञाप -:

दिनांक १०।०८। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्रादिव्यानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु.)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रबोध कुमार विजलदान	टिहरी	12.12.94	पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड-१ ई० अंतर्गत	सिंचाई खण्ड, थराली	धारा १७ (ब) (छ)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरागत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-


- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थपित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आघरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक रथानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव उल्लंघन का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आघरण को "सरकारी आघरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विभिन्निष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या- ३६७२/प्र०३०/ कार्मिक/ तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कौलिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६३/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/रथा०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक | १०।०८ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्थायं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की घारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री विजय कुमार जोशी	अल्मोड़ा	०८.१०.८५	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	— १७ (१) (ग)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।


१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्ध दबाव ठहराने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी आचरण नियमावली' का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
९. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
१०. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३६३ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
२. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
३. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
४. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
५. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. कट फाईल हेतु।


(कृपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३६२५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु.)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री आशीष सेमवाल	उत्तरकाशी	12.10.92	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी	धारा 17(ख)(छ.)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात् कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आउया तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।


1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा येतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपयोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेपित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव उल्लंघने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
10. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३६२५/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कृपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३०५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —

दिनांक १०।०। 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित वर्तमान तैनाती कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री गणेश चन्द्र	उत्तरकाशी	18.09.92	अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	धारा 17(ख)(छ.)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-


- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव उल्लंघने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।


शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३०५/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- पैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कृपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३२२/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय इाप —:

दिनांक १०/०६/२०२५

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्था कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रिया सेनी	हरिहार	16.05.92	सिंचाई खण्ड, रुड़की	प्रशासन खण्ड, रुड़की	धारा 13 (3)/ 17(स)(सम)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आघरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ड़लवाने का प्रयत्न करेगा तो, उसके इस कृत्य/आघरण को "सरकारी आघरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३२२/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

15/

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३७२३/प्र०३०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कृ०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रीना सिंह	उथमसिंह नगर	07.06.91	सिंचाई खण्ड, लद्दपुर	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	धारा 17(1)(ख) (एक)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३७२३/प्र०३०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२१५/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

— कार्यालय झाप —:

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ गुरु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एकता	देहरादून	19.11.91	परियोजना खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	धारा 17(1)(क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरांत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी आचरण नियमावली' का उल्लंघन मानते हुये उसके विलम्ब 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)' के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२१५ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. पैदावालीक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

M

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२५/प्र०अ०/सिंचाई/कार्मिक-२/ई-६/स्था०

दिनांक १०/०६/२०२५

कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजय कुमार	हरिद्वार	01.06.92	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आड्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अद्यक्ष स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलद्व दबाव उल्घाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या नियंत्रण का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या नियंत्रण में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२५/प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-३२५६ / प्र०अ० / सिंचाई / कार्मिक-२ / ई-८ / रथा०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक | ०१०६ | 2025

रथानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार रथानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य रथानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	रथानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आशुतोष जोशी	उधमसिंह नगर	09.02.85	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	पी०ए०जी०एस०वाई सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट, नेनीताल	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि रथानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से रथानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्पाल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

1. रथानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. रथानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. रथानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. रथानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. रथानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विलद्व धारा 24 के अनुसार दंडालमक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि रथानान्तरित कार्मिक द्वारा रथानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आधरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक रथानान्तरण आदेश के विलद्व दबाव उल्लंघन का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा

मुख्य अभियन्ता

संख्या-३२५६ / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/२), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कौषलविकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कृपाल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- ३२१२४ प्र०अ० / सिं०वि० / कार्मिक-२ / ई-६ / रथा०

— कार्यालय झाप —:

दिनांक १०/०८/ 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कार्मिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के समुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शिवकुमार	देहरादून	06.12.88	सिंचाई खण्ड, रुडकी	सिंचाई खण्ड, अगरस्तमुनि (कोदारनाथ)	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आँख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को निम्नानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपनीग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलङ्घ धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्राविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलङ्घ दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विलङ्घ 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३२१२४/प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

14

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२४/प्र०अ०/सिंच०/कार्मिक-२/ई-८/स्थ०

— कार्यालय ज्ञाप —

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक १०/०६/2025

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरेश कुमार	उधमसिंह नगर	18.07.83	सिंचाई खण्ड, लड्डपुर	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	धारा 17(1) ख (वार)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनरथ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आँखा तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—


- 1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मन्य कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडालनक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ढालनाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)’ के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)’ के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:-३२४ /प्र०अ०/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृत प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमति-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-उमे/प्रोओ/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —

दिनांक | १० | ०६ | 2025

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्रमांक सं०	कार्मिक का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थल कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हंसराज सिंह	देहरादून	30.11.84	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	अवरथापना खण्ड, उत्तरकाशी	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीका किये कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपरोग कार्यमार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विलम्ब धारा 24 के अनुसार दंडालनक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने भाता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विलम्ब दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके विलम्ब "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- उमे/प्रोओ/कार्मिक/तिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

मु.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

(कार्मिक अनुमान-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-३२३०/प्र०अ०/सिं०वि०/कार्मिक-२/इ-६/स्था०

: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

दिनांक | ० | ०६ | 2025

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री / श्रीमती / कु)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यस्थान कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास कपिल	देहरादून	30.09.82	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड नरेन्द्र नगर (दुर्गम)	धारा 17(1)(क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।-


- 1 स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अदकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयत्न करेगा तो, उसके इस वृत्त्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- ३२३० / प्र०अ० / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (सत्र-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

